भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3903

मंगलवार, 12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

मेक इन इंडिया परियोजनाएं

3903. श्री सुनील बोसः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 'मेक इन इंडिया' परियोजनाओं का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और जिला-वार ब्यौरा विशेषकर कर्नाटक राज्य में जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्नाटक सहित राज्य-वार कितने व्यक्ति 'मेक इन इंडिया' परियोजनाओं से लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) देश में विशेषकर कर्नाटक में 'मेक इन इंडिया' परियोजनाओं के अंतर्गत आवंटित/जारी की गई और उपयोग की गई निधि का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवप्रयोग को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम अवसंरचना का निर्माण करने और भारत को विनिर्माण, डिजाइन एवं नवप्रयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से 25 सितंबर, 2014 को 'मेक इन इंडिया' पहल की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में, मेक इन इंडिया 2.0, 15 विनिर्माण क्षेत्रों सहित 27 क्षेत्रों पर फोकस कर रहा है, जिसे विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की सूची **अनुबंध-I** में संलग्न है।

सरकार ने विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत पहलें शुरू की हैं, जिनमें आत्मनिर्भर भारत पैकेज, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) और राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के अंतर्गत निवेश के अवसर, भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (आईपीआरएस), राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) की शुरुआत आदि शामिल हैं। निवेश को गति देने के लिए भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठों (पीडीसी) के रूप में एक व्यवस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है। उपरोक्त सभी पहलें/स्कीमें, विभिन्न

मंत्रालयों/विभागों, केंद्र सरकार और कर्नाटक सहित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में 100 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (एनएमएम) की घोषणा की है। यह मिशन, पांच प्रमुख क्षेत्रों पर बल देगा अर्थात् व्यापार करने में सुगमता और लागत; मांग वाली नौकरियों हेतु भविष्य के अनुरूप तैयार कार्यबल; जीवंत और ऊर्जावान एमएसएमई क्षेत्र; प्रौद्योगिकी की उपलब्धता; और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद।

इसके अलावा, भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए और भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने हेतु, 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों की शुरुआत की गई है। इन स्कीमों में उत्पादन को व्यापक रूप से बढ़ाने, विनिर्माण आउटपुट में बढ़ोतरी करने और भविष्य में तीव्र गति से आर्थिक विकास की दिशा में योगदान करने की क्षमता है। पीएलआई स्कीमों का उद्देश्य, प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करना; विनिर्माण क्षेत्र में दक्षता सुनिश्चित करना और व्यापक पैमाने की किफायत करना एवं भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इन स्कीमों में अगले लगभग पांच वर्षों में उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास को व्यापक रूप से बढ़ावा देने की क्षमता है। पीएलआई स्कीमों के फलस्वरूप कर्नाटक सहित राष्ट्रीय स्तर पर 12 लाख से अधिक (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) रोजगारों का सृजन हुआ है।

भारत में विभिन्न क्षेत्रों में पीएलआई स्कीमों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इन स्कीमों ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया है, जिससे उत्पादन बढ़ा है, नौकरियों का सृजन हुआ है और निर्यात को बढ़ावा मिला है। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में कुल 2.66 लाख करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की गई है, जिसमें इस स्कीम के पहले तीन वर्षों में हासिल 1.70 लाख करोड़ रुपए का निर्यात शामिल है। इस स्कीम ने भारत को, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बल्क ड्रग्स के निवल आयातक (-1930 करोड़) से अब निवल निर्यातक (2280 करोड़) बनाने में योगदान दिया है। इस स्कीम के परिणामस्वरूप घरेलू विनिर्माण क्षमता और महत्वपूर्ण औषधियों की मांग के बीच अंतर में बड़ी कमी भी आई है।

चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई स्कीम के अंतर्गत, 21 परियोजनाओं ने 54 विशिष्ट चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण शुरू किया है, जिनमें लीनियर एक्सीलरेटर (लाइनैक), एमआरआई, सीटी-स्कैन, हार्ट वाल्व, स्टेंट, डायलाइज़र मशीन, सी-आर्म, कैथ लैब, मैमोग्राफ, एमआरआई कॉइल आदि जैसे उच्च-स्तरीय उपकरण शामिल हैं। इन अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों का पहले आयात किया जाता था और अब इसका भारत में विनिर्माण किया जा रहा है। उद्योग संघ और डीजीसीआईएस के अनुसार, मूल्य के संदर्भ में मोबाइलों का उत्पादन 2020-21 के 2,13,773 करोड़ रुपए से लगभग 146% बढ़कर 2024-25 में 5,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। इसी अवधि के दौरान, मूल्य के संदर्भ में मोबाइल फोनों का निर्यात 2020-21 के 22,870 करोड़ रुपए से लगभग 775% बढ़कर 2024-25 में 2,00,000 करोड़ रुपए हो गया है।

अद्यतन स्थिति के अनुसार, कर्नाटक सहित देशभर के 14 क्षेत्रों में 806 आवेदन अनुमोदित किए जा चुके हैं। कर्नाटक में इस स्कीम के तहत स्थापित विनिर्माण इकाइयों की क्षेत्रवार संख्या का विवरण **अनुबंध-II** में संलग्न है। अक्तूबर, 2019 से मार्च, 2025 के दौरान 57.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) इक्विटी अंतर्वाह के माध्यम से व निवेश के मामले में राज्य, देश में दूसरे स्थान पर है।

विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की चल रही स्कीमों के अलावा, सरकार ने भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें माल एवं सेवा कर की शुरुआत, कॉरपोरेट कर में कमी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, एफडीआई नीति संबंधी सुधार, अनुपालन बोझ में कमी के उपाय, सार्वजनिक खरीद आदेशों के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उपाय, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) और क्यूसीओ (गुणवत्ता नियंत्रण आदेश) आदि शामिल हैं।

मेक इन इंडिया पहल के तहत किए जाने वाले कार्यकलाप केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी किए जा रहे हैं। मंत्रालय अपने अधीन आने वाले क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाएं, कार्यक्रम, स्कीम और नीतियां तैयार करते हैं, जबकि निवेश आकर्षित करने हेतु राज्यों की भी अपनी स्कीमें हैं।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 12.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3903 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विनिर्माण क्षेत्र

i. एरोस्पेस और रक्षा
ii. ऑटोमोटिव और ऑटो घटक
iii. फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण
iv. बायो-टेक्नोलॉजी
v. पूंजीगत वस्तुएं
vi. वस्त्र एवं परिधान
vii. रसायन और पेट्रो रसायन
viii. इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्यूफैक्चरिंग (ईएसडीएम)
ix. चमड़ा और फुटवियर
x. खाद्य प्रसंस्करण
xi. रत्न और आभूषण
xii. शिपिंग
xiii. रेलवे
xiv. निर्माण
xv. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

सेवा क्षेत्र

i. सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी और आईटीईएस)
ii. पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं
iii. मेडिकल वैल्यू ट्रैवल
iv. परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाएं
v. लेखा और वित्त सेवाएं
vi. ऑडियो विजुअल सेवाएं
vii. कानूनी सेवाएं
viii. संचार सेवाएं
ix. निर्माण और इससे संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं
x. पर्यावरणीय सेवाएं
xi. वित्तीय सेवाएं
xii. शिक्षा सेवाएं

अनुबंध-II

दिनांक 12.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3903 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्रम सं.	**क्षेत्र**	**विनिर्माण इकाइयों की संख्या**
1	फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स	29
2	व्यापक स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण	5
3	दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद	8
4	खाद्य उत्पाद	21
5	बल्क ड्रग्स	3
6	चिकित्सा उपकरणों का निर्माण	8
7	व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी)	7
8	ड्रोन और ड्रोन घटक	8
9	आईटी हार्डवेयर 2.0	3
10	ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक	25
11	वस्त्र उत्पाद: एमएमएफ सेगमेंट और तकनीकी वस्त्र	10
12	एडवांस केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी	1
13	विशेष इस्पात	8
कुल		**136**

(पीएलआई कार्यान्वयन वाले मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार)

*****